



Urgent Feedback on IInd draft of Food processing policy required

Last Chance for you to get the Policy made as you desire

Dear IIA Members,

You are aware that IIA is actively involved in the formulation of U.P Food Processing Policy 2012. The IInd Draft of the Policy is now ready and is attached herewith for your ready reference. Comments on this draft are required to be submitted to the Government latest by 11th June 2012. After that Govt of U.P will freeze the policy and you will loose any chance to voice your opinion.

As such , you are requested to study the draft policy urgently and mail back your suggestions / comments immediately to IIA head Office so as to reach latest by 10th June 2012. Please note that , we will not be able to include the comments received after 10th June . Hence hurry up!

With kind regards,

Chetan D Bhalla

Co- Chairman, Food Processing Working Group




Indian Industries Association

IIA Bhawan, Vibhuti Khand Gomti Nagar Lucknow-226010

Ph: +91-522-2720090, +91-522-3248178 Fax: +91-522-2720097

Website : www.iaonline.in

Note: Use E-mails - Save Paper - Protect Trees & Go Greener



द्वितीय आलेख्य

खाद्य प्रसंस्करण नीति 2012

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश ।

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ संख्या
अध्याय 1. प्रस्तावना	1
परिभाषाएँ	2
अवधि	2
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निम्न से संबंधित उद्योग सम्मिलित होंगे	2
कार्यक्षेत्र एवं विस्तार	2
विजन एवं मिशन	2-3
उद्देश्य एवं रणनीति	3
अध्याय 2. प्राथमिकता के क्षेत्र	4
2.1 फूड प्रोसेसिंग जोन का चिन्हांकन एवं अवस्थापना सुविधाओं का विकास	4
2.2 पूँजी निवेश एवं तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहन	4
2.3 मानव संसाधन विकास	5
2.4 प्रक्रियाओं का सरलीकरण	5
2.5 बाजार विकास	5
2.5.1 ब्राण्ड विकास प्रोत्साहन	5
2.5.2 वैश्वीय प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण	5
2.5.3 बैकवर्ड लिंकेज	6
2.5.4 उद्यमियों एवं उत्पादकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सूचना उपलब्ध कराना	6
2.5.5 कृषि उत्पाद हेतु बाजार विकास एवं विविधीकरण	6
अध्याय 3. वित्तीय अनुदान एवं रियायतें	6
3.1 इकाई स्थापना से पूर्व प्रदत्त की जाने वाली सुविधाएं	6
3.1.1 मॉडल बैंकेबुल प्रोजेक्ट्स की सुविधा	6
3.1.2 परियोजना तैयारी हेतु सहायता	6
3.1.3 स्टाम्प ड्यूटी में छूट हेतु सहायता	6
3.2 इकाई स्थापित करते समय प्रदत्त की जाने वाली सुविधाएं	7
3.3 इकाई स्थापित होने के पश्चात् एवं उत्पादन करते समय प्रदत्त की जाने वाली सुविधाएं	7
3.3.1 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को विद्युत कर में छूट	7
3.3.2 खाद्य उत्पादों का ब्राण्ड एवं बाजार विकास तथा विविधीकरण को प्रोत्साहन	7
3.3.3 प्रसंस्करण हेतु कृषि एवं बागवानी उत्पादों के सीधे क्रय की अनुमति दिया जाना तथा मण्डी शुल्क एवं विकास सेस में छूट दिया जाना	8
3.3.4 ब्याज रहित ऋण सुविधा उपलब्ध कराया जाना	8
3.3.5 शीघ्र पूर्ण होने वाली (चपवदममत न्दपजे) परियोजनाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन	8
3.3.6 वाणिज्य कर से सम्बन्धित छूट तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण के प्राविधान	8
3.3.7 आधारभूत सुविधाओं का विकास	8
3.3.8 अनुसंधान एवं गुणवत्ता विकास	8
3.3.9 वैश्वीय प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण	9
3.3.10 पेटेंट/डिजाइन पंजीकरण	9
3.4 अन्य प्रोत्सनात्मक सुविधाएं	9
3.4.1 बाजार प्रोत्साहन की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करते हुए कृषि विकास निधि अथवा अन्य संस्था से धन आवंटित किया जाना	9
3.4.2 विपणन प्रोत्साहन	9
3.4.3 संस्थागत सुदृढीकरण तथा कार्यरत संस्थानों का प्रभावी उपयोग	9
3.4.4 वेयरहाउस में रखे सामान पर प्राप्ति-तन्त्र की स्थापना	10
3.4.5 प्रसंस्कृत उत्पादों के डिस्प्ले सेन्टर की स्थापना	10
सामान्य	10
परिशिष्ट-1	11

अध्याय 1. प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश का देश में खाद्यान्न, बागवानी, दुग्ध, पशु, माँस आदि के उत्पादन में अग्रणी स्थान है। खाद्यान्न फसलों में गेहूँ, धान, मक्का, गन्ना, बागवानी फसलों में आलू, आम, अमरूद, आंवला, मटर, लतावर्गीय सब्जियों का बृहद उत्पादन प्रदेश में हो रहा है। कृषि क्षेत्र का प्रदेश की सकल आय में लगभग एक तिहाई योगदान है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग दो तिहाई भाग कृषि पर आधारित है। प्रदेश में उत्पादित अनेक फल-सब्जियाँ, खाद्यान्न, दालें एवं दुग्ध उत्पादों का अधिकांश भाग बिना प्रसंस्करण किये ही प्रयोग किया जाता है।

प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विकास, निवेश एवं रोजगार सृजन की असीमित सम्भावनायें विद्यमान हैं। प्रदेश की विविधतापूर्ण एवं अनुकूल कृषि जलवायु वर्तमान उत्पादन स्तर को गुणित करने एवं उत्पादन को मूल्य संवर्द्धित कर लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित करने हेतु व्यापक सम्भावनाओं के अवसर उपलब्ध कराने में सक्षम है। प्रदेश में उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि, प्रसंस्कृत पदार्थों के उपभोग में सम्भावित वृद्धि, उपभोक्ताओं की पर्याप्त संख्या एवं प्रदेश के समग्र विकास के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कृषि एवं कृषि संवर्गीय सम्पदा का मूल्य संवर्द्धन कराकर उनकी आय में वृद्धि, विपणन हेतु सशक्त लिंकेज, उद्यमिता विकास की अपरिमित सम्भावनाओं और उनके लिए निवेश की व्यवस्था को सरलीकृत करते हुए प्रदेश में पूँजी निवेश का अनुकूल वातावरण तैयार कर अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के सुनियोजित प्रयास किये जाय।

प्रदेश में कच्चे माल की उपलब्धता, प्रसंस्कृत उत्पादों के उपभोग हेतु उपलब्ध बाजार तथा बढ़ते शहरीकरण के कारण उपभोक्ताओं की दैनन्दिनी जरूरतों में उपभोग की मांग के दृष्टिगत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की सम्भवनाओं को अवसर के रूप में सुस्थापित करने के उद्देश्य से 'खाद्य प्रसंस्करण नीति 2012' की आवश्यकता प्रतीत होती है।

परिभाषाएँ :

- **“खाद्य प्रसंस्करण”**: से तात्पर्य उस विधा एवं तकनीकी से है जिसके द्वारा कच्चे उत्पादों को इस प्रकार से परिवर्तित कर दिया जाय कि वे उत्पाद मनुष्य के खाने योग्य बन जाए।
खाद्य प्रसंस्करण के अन्तर्गत उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन, मुख्यतः कृषि, बागवानी, दुग्ध, पशु आधारित उत्पाद, वन उत्पाद, मसाले, औषधीय एवं सगन्ध से है। मूल्य संवर्द्धन का अभिप्राय फसलों की तुड़ाई उपरान्त एक स्थान पर एकीकृत करते हुए छंटाई, धुलाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग, पैकेजिंग किया जाना है जिससे एक उत्कृष्ट कोटि का फार्म उत्पाद उपलब्ध हो।
- **“खाद्य उत्पाद”** से तात्पर्य कृषि, औद्योगिकी, पुष्प, औषधीय पौधे, मत्स्य, कुक्कुट, मधुमक्खी तथा दुग्ध उत्पादों से है।
- **“खाद्य व्यवसाय”** से तात्पर्य उस बृहद स्तरीय व्यवसाय से है जो अपना अधिकांश राजस्व खाद्य प्रसंस्करण कार्य से अर्जित करता है। इसमें उत्पादन, प्रसंस्करण, विनिर्माण तथा कृषि उत्पादों का वितरण भी सम्मिलित हो सकता है।
- **“कार्यदायी संस्था”** से तात्पर्य उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश से है।
- **“नई इकाई”** से तात्पर्य ऐसी इकाई से है, जिसके द्वारा नीति लागू होने की तिथि को व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ न किया गया हो।
- **“विस्तारीकरण”** से तात्पर्य ऐसी इकाई से है जिसके द्वारा विस्तारीकरण के ठीक पूर्व भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स, कैपिटल गुड्स में किये गये निवेश का न्यूनतम 25 प्रतिशत अतिरिक्त पूँजी निवेश उपरोक्त मदों में किया जाये तथा विस्तारीकरण से पूर्व की अधिष्ठापित क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत वृद्धि की जाये।

- “आधुनिकीकरण” से तात्पर्य ऐसी इकाई से है जिसके द्वारा वर्तमान इकाई में उपयोग की जा रही पुरानी तकनीकों के स्थान पर नवीन तकनीकों का समावेश किया जाना प्रस्तावित हो, जिससे इकाई की कार्य क्षमता, गुणवत्ता में वृद्धि हो।
- “पायनियर इकाई” से तात्पर्य किसी जनपद की ऐसी चिन्हित प्रथम प्रसंस्करण इकाई से है, जिसमें रु. 10 करोड़ अथवा इससे अधिक पूँजी निवेश निहित हो तथा वह इकाई दिनांक 31 मार्च, 2014 से पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दे।
- “पूँजी निवेश” से तात्पर्य इकाई की स्थापना के संदर्भ में भूमि, भवन तथा मशीनरी व संयन्त्र एवं अन्य पूँजीगत परिसम्पत्तियों में किये गये पूँजी निवेश से है।
- “व्यावसायिक उत्पादन” से तात्पर्य नये स्थायी पूँजी निवेश/अतिरिक्त स्थायी पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित माल के चार्टर्ड एकाउण्टेंट से प्रमाणित उत्पादन की निम्न तिथियों से है -
 - a. नई इकाई की दशा में उत्पादन की प्रथम तिथि
 - b. विस्तारीकरण करने वाली इकाई को दशा में आधारभूत उत्पादन से अधिक माल के उत्पादन की प्रथम तिथि
 - c. आधुनिकीकरण की दशा में पूर्व निर्मित वस्तु से भिन्न प्रकृति के उत्पाद अथवा उच्चकृत गुणवत्ता अथवा उत्पादन क्षमता में वृद्धि उपरान्त वस्तु के उत्पादन की प्रथम तिथि।

अवधि :

यह नीति लागू होने की तिथि से 31 मार्च, 2017 तक प्रभावी रहेगी।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निम्न से संबंधित उद्योग सम्मिलित होंगे:

- फल एवं सब्जियाँ।
- फूल एवं शहद।
- मसाले जड़ी-बूटी और मशरूम।
- खाद्यान्न, तिलहन और दलहन।
- दुग्ध उत्पाद।
- कुक्कुट, अण्डा, मांस एवं मांस पर आधारित उत्पाद।
- मत्स्य।
- ब्रेड, गुड, बिस्कुट, अल्पाहार एवं कन्फेक्शनरी, प्रोटीन आइसोलेट्स माल्ट एक्सट्रेक्टस, उच्च प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ, वीनिंग फूड्स, फूड कलर, फूड एन्जाइम, फूड स्टेबलाइजर/इमल्सीफायर और अन्य खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ तथा सभी अन्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ।
- फर्मेन्टेड खाद्य पदार्थ (अल्कोहलिक और नॉन-अल्कोहलिक)

नीति के अन्तर्गत पात्र उद्योगों की सूची परिशिष्ट-1 पर दी गयी है।

कार्यक्षेत्र एवं विस्तार :

- यह नीति राज्य में स्थापित होने वाले नये खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों तथा वर्तमान में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय उद्यमों द्वारा आधुनिकीकरण, विस्तार या विविधीकरण पर भी लागू होगी।
- इस नीति के अन्तर्गत कृषि व औद्योगिकी उत्पादों के मूल्यसम्बर्धन, नई फसलोत्तर प्रबन्धन तकनीकी लागू करने, राज्य में उत्पादित कृषि व औद्योगिकी उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने एवं कृषि, खाद्य प्रसंस्करण हेतु आधारभूत सुविधाओं तथा मानव संसाधन के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

विजन (VISION)

- उत्तर प्रदेश को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित कराना। उत्पादन से उपभोग तक सुरक्षित स्वास्थ्यपरक पोषणीय एवं उच्च गुणवत्ता के ताजे एवं प्रसंस्कृत उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना एवं मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा देना। घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात को

प्रोत्साहित कर राज्य एवं राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान दिलाना।

मिशन (MISSION)

- प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के स्तर में वृद्धि करना।
- मूल्य संवर्द्धन एवं पोस्ट हार्वेस्ट हानियों को कम करना।
- संस्थागत सुविधाओं का सुदृढीकरण।
- खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता की सुनिश्चितता।
- उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- दक्षता विकास।

उद्देश्य :

राज्य के सर्वांगीण एवं समग्र विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों एवं खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित सेवा क्षेत्र को गति प्रदान करना आवश्यक है। इसके लिए प्रस्तावित 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस नीति के उद्देश्य निम्नवत् प्रस्तावित हैं।

1. खाद्य प्रसंस्करण के समग्र क्षेत्र में निजी पूंजीनिवेश को बढ़ावा देना, उद्योग का मार्गदर्शन करना, सहायता देना एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
2. किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य दिला कर उनकी आय में वृद्धि करना।
3. प्रदेश में उपलब्ध अधिशेष (सरप्लस) अनाज, फल, सब्जी, दूध, मछली, मांस एवं पोल्ट्री आदि के प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना एवं इनके देश के भीतर एवं बाहर विपणन को प्रोत्साहन देकर उत्तर प्रदेश को एग्रो प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग के क्षेत्र में एक अच्छा ब्राण्ड बनाना।
4. कृषि खाद्य उपज के भंडारण, ढुलाई और प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास कराना एवं कृषि/उद्यान उत्पाद के अपव्यय तथा क्षरण को कम करना।
5. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में नवीनतम तकनीकी के उपयोग को प्रोत्साहित कराना।
6. मूल्यवर्धित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नीति समर्थन प्रोत्साहनात्मक पहल और सुविधाएं उपलब्ध कराना।
7. प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में फूड सेफ्टी एवं हाइजिन मानकों के अनुसार उत्पादन सुनिश्चित कराना।

रणनीति :

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना कराने हेतु प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाना।
- खाद्य प्रसंस्करण मिशन द्वारा जो अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है, वह लगभग सभी प्रदेशों में बराबर है। अतः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लघु, मध्यम, बड़े उद्यमियों को अतिरिक्त राज्य सहायता उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है।
- प्रदेश में जैविक प्रमाणित उत्पादों के व्यापक प्रचार-प्रसार, गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पाद प्रमाणीकरण आदि क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केन्द्र (आर-फ्रैक), लखनऊ के माध्यम से कृषकों/ उद्यमियों को लाभान्वित किया जाएगा।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के व्यापक क्षेत्र को देखते हुए आवश्यक प्रबन्धकीय एवं तकनीकी दक्षता को नवीन उद्यमियों को सुलभ कराने के लिए मुख्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटेशन सेन्टर (पी. डी. एफ. सी.) के माध्यम से सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु जनपद/मण्डल/निदेशालय स्तर पर मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुए व्यवहारिक प्रोत्साहन पैकेज अवस्थापना, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति के सहयोग से विकसित किये जायेंगे।
- वर्तमान परिवेश में ताजे एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि वे स्थानीय उद्योगों के तकनीकी उच्चीकरण एवं गुणवत्ता विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रदेश के निर्यातकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सहायक एवं सहयोगी वातावरण सृजित कराया जायेगा।
- विगत कुछ वर्षों में सेवा क्षेत्र में विशेषकर फूड मार्ट, होटल्स, रेस्टोरेंट, कैटरिंग सेवाओं का काफी तेजी से विकास हो रहा है। जिस कारण सेवा क्षेत्र को आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में पर्याप्त सम्भावनाएं विद्यमान हैं। अतः इस नीति में सेवा क्षेत्र के अधिक विकास पर बल दिया जायेगा।

अध्याय 2. प्राथमिकता के क्षेत्र

1. फूड प्रोसेसिंग जोन का चिन्हांकन एवं अवस्थापना सुविधाओं का विकास
2. पूँजी निवेश एवं तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहन
3. मानव संसाधन विकास
4. प्रक्रियाओं का सरलीकरण
5. बाजार विकास

2.1 फूड प्रोसेसिंग जोन का चिन्हांकन एवं अवस्थापना सुविधाओं का विकास

विकास क्षेत्रों की पहचान विभिन्न उत्पादों के क्लस्टर के रूप में की जाएगी और ऐसे उत्पादों की मूल्य शृंखला में सभी चरणों में आने वाली बाधाओं को चिन्हित कर दूर किया जायेगा। इसके लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का उस क्षेत्र में एकीकरण करते हुए इन क्लस्टरों में सभी स्टेक होल्डर्स यथा- उत्पादक, प्रसंस्करणकर्ता, निर्यातक एवं सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों की सहभागिता से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। इन क्षेत्रों में **फूड पार्क**, मेगा फूड पार्क एवं सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास किये जायेंगे और वर्तमान में स्थापित फूड पार्कों को क्रियाशील कराने का प्रयास किया जायेगा।

देश के अन्य प्रान्तों में सफलतापूर्वक संचालित होने वाले फूड पार्कों/मेगा फूड पार्कों का अध्ययन/सर्वेक्षण कर प्रदेश में भी उसी आधार पर फूड पार्कों को संचालित किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

प्रस्तावित मेगाफूड पार्क की योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ प्रदेश में फूड पार्कों की योजना के क्रियान्वयन हेतु भी भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा, जिससे प्रदेश में अधिक से अधिक क्षेत्र विकसित हो सकें एवं स्थानीय कच्चे माल का मूल्य सम्वर्धन कराते हुए किसानों को लाभ के साथ-साथ रोजगार के अवसर प्रदान किया जा सकें।

जालौन में मटर, बुन्देलखण्ड में हल्दी एवं अदरक, लखनऊ एवं सहारनपुर में शहद, आम, अमरूद प्रतापगढ़ में आंवला के फलपट्टी क्षेत्रों में वृहद उत्पादन को देखते हुए क्षेत्र विशेष के लिए फसल विशेष की प्रसंस्करण इकाईयों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

2.2 पूँजी निवेश एवं तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहन

खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को प्रदेश में निजी पूँजी निवेश द्वारा नवीन प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना तथा स्थापित उद्योगों में तकनीकी आधुनिकीकरण/उन्नयन एवं क्षमता विस्तार को प्रोत्साहित किया जायेगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने व फसलोत्तर हानियाँ कम करने में अवस्थापना सुविधाओं

का बढ़ा योगदान है। निजी क्षेत्रों द्वारा अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने पर केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं में उपलब्ध राज्य सहायता सुलभ कराने में सहयोग किया जायेगा।

प्रदेश में नीति के माध्यम से निजी पूँजी निवेश करने वाले उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने हेतु भूमि क्रय करने पर स्टाम्प ड्यूटी, विद्युत कर व व्यापार कर तथा प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर निर्यात हेतु मण्डी टैक्स में छूट देने पर विचार किया जायेगा।

2.3 मानव संसाधन विकास

- रोजगारपरक खाद्य प्रसंस्करण आधारित विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर/राज्य स्तर एवं प्रदेश के बाहर स्थित भारत सरकार के संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों आदि के माध्यम से कराया जायेगा। यह प्रशिक्षण राज्य सरकार के कर्मिकों व नव उद्यमियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध होगी।
- खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय के त्वरित विकास के सामने कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता एक चुनौती के रूप में उभर रही है। राज्य सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों में खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग तथा कृषि विपणन के विषय शुरू करने को प्रोत्साहित करेंगी। निजी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय में शैक्षिक व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए तकनीकी संस्थाओं को खाद्य प्रसंस्करण मिशन से अनुमन्य सहायता प्रदान की जायेगी।

2.4 प्रक्रियाओं का सरलीकरण

नीति के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं को एकीकृत कर कार्यदायी विभाग के माध्यम से लागू कराया जायेगा जो अन्य सम्बन्धित विभागों के लिए बाध्यकारी होगा। खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न आयामों पर विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाओं को भी समेकित करते हुए नोडल विभाग के समन्वय से संचालित कराया जायेगा।

प्रस्तावित नीति में उद्यमियों को उपलब्ध करायी जाने वाली सहायता हेतु समय-समय पर उद्योगबन्धु द्वारा प्रस्तावित एकल-मेज व्यवस्था को कार्यदायी विभाग द्वारा राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तर पर क्रियान्वित कराया जायेगा, जिससे उद्यमियों को उचित समय में सहायता उपलब्ध हो सकेगी।

2.5 बाजार विकास

2.5.1 ब्राण्ड विकास प्रोत्साहन :

- खाद्य पदार्थों में गुणवत्ता व मानकीकरण के लिए जागरूकता उत्पन्न की जाएगी। निजी क्षेत्रों में पर्याप्त प्रयोगशालाओं की स्थापना करायी जाएगी। इन प्रयोगशालाओं को अनुदान दिया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण मिशन लागू होने से पूर्व दिया जाने वाला अनुदान यदि कम है तो प्रदेश सरकार से अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इस क्षेत्र में गुणवत्ता को इस तरह बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा। जिससे कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के मामले में उत्तर प्रदेश स्वयं एक ब्राण्ड के रूप में विकसित हो।
- वर्तमान में उपभोक्ताओं को स्वच्छ खाद्य उत्पाद एवं मिलावट आदि को रोकने हेतु भारत सरकार द्वारा फूड सेफ्टी स्टैण्डर्ड अथोरिटी ऑफ इण्डिया (एफ.एस.एस.ए.आई.) का गठन किया गया है जिसके क्रम में खाद्य प्रसंस्करण आधारित इकाईयों, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, फास्ट फूड कॉर्नर आदि क्षेत्र की इकाईयों को जागरूक करने का प्रयास किया जायेगा।

2.5.2 वैश्वीय प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण :

- खाद्य प्रसंस्करण के उत्पादों का श्रेणीकरण तथा मानकीकरण कराने के उद्देश्य से जांच सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय उद्यमों को पेटेन्ट एवं डिजाइन के पंजीकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणीकरण (ISO 14001, ISO 22000, HACCP, Phyto sanitary certification fees & testing charges) हेतु प्रोत्साहन भी देय होगा।

2.5.3 बैकवर्ड लिंकेज :

- किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिलाने तथा प्रसंस्करणकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किसानों व उद्यमियों के बीच समझौते को प्रोत्साहित किया जायेगा जिससे उनके बीच दीर्घकालिक रिश्ते कायम हो सकें। इससे प्रसंस्करण के अनुरूप कृषि उत्पादों की प्रत्यक्ष आपूर्ति की जा सकेगी।

2.5.4 उद्यमियों एवं उत्पादकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सूचना उपलब्ध कराना :

- उत्तर प्रदेश सरकार, जन सहभागिता के आधार पर, कृषि जिन्सों की कीमत की सूचना एवं ई-व्यवसाय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि विपणन सूचना तंत्र की स्थापना करेंगी।
- उत्पादन एवं विपणन संबंधी आंकड़ों को एकत्र करने, उनका तुलनात्मक परीक्षण व विश्लेषण करने और उनका आदान-प्रदान करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा।

2.5.5 कृषि उत्पाद हेतु बाजार विकास एवं विविधीकरण :

- यह नीति घरेलू एवं विदेशी बाजार के विकास एवं विस्तार की सम्पूर्ण गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करती है। इस नीति के अन्तर्गत गुणवत्ता से सम्बन्धित सभी मापदण्डों, नये बाजारों की तलाश, प्रारम्भिक वर्षों में भाड़े को अनुदानित करने तथा ब्रांड के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। घरेलू व विदेशी बाजार के विकास एवं विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- राज्य सरकार, राज्य से निर्यात व प्रमुख निर्यातित स्थानों के आंकड़ों का संकलन करेगी। खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय उद्यमों को बाजार के विकास एवं विस्तार में सक्रिय सहयोग प्रदान करेगी। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में कृषि उत्पादको को सम्मिलित होने के लिए सहयोग प्रदान किया जाएगा, जिन उत्पादों में राज्य को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होगा, उनके बाजार विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

अध्याय 3. वित्तीय अनुदान एवं रियायतें

3.1 इकाई स्थापना से पूर्व प्रदत्त की जाने वाली सुविधाएं :

3.1.1 मॉडल बैंकेबुल प्रोजेक्ट्स की सुविधा :

- नीति के अन्तर्गत उद्यमियों को बैंकेबुल मॉडल प्रोजेक्ट्स तैयार करने में सहायता प्रदान की जायेगी और ऐसे प्रोजेक्ट कार्यदायी विभाग के अधीन गठित प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फैलिटेसन सेन्टर (पी0एफ0डी0सी0) के माध्यम से सशुल्क तैयार कराने की सुविधा सृजित की जायेगी।

3.1.2 परियोजना तैयारी हेतु सहायता :

- नीति के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली इकाईयों के लिए विशिष्ट परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी. आर.) तैयार करने में व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु. 5 लाख प्रति लाभार्थी, अनुदान देय होगा तथा डी0पी0आर तैयार करने हेतु प्रस्तावित अनुदान की देयता के सम्बन्ध में ई.ओ. आई. के माध्यम से संस्थाओं का इम्पैनलमेंट कराया जायेगा एवं इस प्रस्तावित अनुदान का लाभ उठाने वाले प्रमोटर को देय अनुदान को इकाई की स्थापना से लिंक किया जायेगा।

3.1.3 स्टाम्प ड्यूटी में छूट हेतु सहायता :

- पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड के चिन्हित जनपदों में स्थापित होने वाली सभी नई औद्योगिक इकाईयों तथा विस्तारीकरण करने वाली इकाईयों को भूमि के क्रय करने, पट्टे पर लेने अथवा भूमि के अधिगृहण की दशा में स्टैम्प शुल्क से शत-प्रतिशत छूट उपलब्ध करायी जायेगी।
- पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड के चिन्हित जनपदों को छोड़कर शेष जनपदों में स्थापित की जाने

वाली सभी नई इकाईयों तथा विस्तारीकरण करने वाली इकाईयों को भूमि के क्रय करने, पट्टे पर लेने अथवा भूमि के अधिग्रहण की दशा में स्टैम्प शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट उपलब्ध करायी जायेगी।

- स्टैम्प अधिनियम 1899 (जैसा कि उत्तर प्रदेश में लागू है) में नियमानुसार देय स्टैम्प शुल्क से अधिक जमा किये गये स्टैम्प शुल्क की वापसी का प्राविधान किया जायेगा।
- मेगा फूड पार्क की स्थापना के प्रस्तावों पर विकास कर्ता को भूमि क्रय करने की दशा में स्टैम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट उपलब्ध करायी जायेगी। पूर्वान्वल एवं बुन्देलखण्ड के चिन्हित जनपदों में निजी क्षेत्र के मेगा फूड पार्क के लिए भूमि के क्रय करने, पट्टे पर लेने अथवा भूमि के अधिग्रहण की दशा में स्टैम्प शुल्क से शत प्रतिशत छूट उपलब्ध करायी जायेगी। पूर्वान्वल एवं बुन्देलखण्ड के चिन्हित जनपदों को छोड़कर शेष जनपदों में निजी क्षेत्र में मेगा फूड पार्क की स्थापना हेतु भूमि के क्रय करने, पट्टे पर लेने अथवा भूमि का अधिग्रहण किये जाने की दशा में स्टैम्प शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट उपलब्ध करायी जायेगी।
- खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना हेतु उपयोग किये जाने वाली भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल किये जाने का सार्थक प्रयास किया जायेगा।

3.2 इकाई स्थापित करते समय प्रदत्त की जाने वाली सुविधाएं :

- नीति अबाधि में प्रसंस्कृत उत्पादों के साथ-साथ ताजा फल-सब्जियों की खुदरा विक्री हेतु रिटेल चेन स्थापित करने पर अधिकतम रू. 15 लाख ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा सुलभ करायी जायेगी।
- प्रदेश के बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल में चिन्हित जनपदों में खाद्य प्रसंस्करण आधारित इकाईयों की स्थापना/विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण/तकनीकी उन्नयन पर 25 प्रतिशत अधिकतम रू. 50 लाख की सीमा तक अतिरिक्त राज्य सहायता उपलब्ध करायी जायेगी तथा राज्य के शेष जनपदों के लिए यह सहायता 10 प्रतिशत अधिकतम रू. 20 लाख की सीमा तक अनुमन्य होगी।

3.3 इकाई स्थापित होने के पश्चात् एवं उत्पादन करते समय प्रदत्त की जाने वाली सुविधाएं :

3.3.1 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को विद्युत कर में छूट -

- नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को विद्युत कर में 10 वर्ष तक छूट।

3.3.2 खाद्य उत्पादों का ब्राण्ड एवं बाजार विकास तथा विविधीकरण को प्रोत्साहन-

- उत्तर प्रदेश मूल के कृषि/बागवानी/प्रसंस्कृत उत्पाद को विदेश में विपणन के परीक्षण हेतु नमूना भेजने पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 50,000 प्रति लाभार्थी अनुदान दिया जायेगा। यह अनुदान केवल एक देश एवं एक नमूना हेतु ही अनुमन्य होगा।
- राज्य में उत्पादित फल एवं सब्जियों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पाद की एफ.ओ. बी. मूल्य का 20 प्रतिशत अथवा रू. 3.50 प्रति किग्रा, जो भी कम हो, रू. 2 लाख प्रति लाभार्थी प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा तक 3 वर्ष तक अनुदान दिया जायेगा।
- राज्य में उत्पादित बागवानी फसलों के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु एयरपोर्ट/समुद्री पोर्ट तक उत्पाद परिवहन पर होने वाले वास्तविक व्यय का 25 प्रतिशत अथवा रू. 1 प्रति किग्रा, जो भी कम हो, अनुदान दिया जायेगा।
- क्षेत्रीय विशिष्टताओं के आधार पर प्रसंस्कृत उत्पादों की ब्राण्डिंग को प्रोत्साहित करने हेतु व्यय का 50 प्रतिशत अनुदान सुलभ कराया जायेगा, ताकि छोटे एवं मझौले उद्यमियों को बाजार उपलब्ध हो।
- प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानकों का व्यापक प्रसार किया जायेगा।

3.3.3 प्रसंस्करण हेतु कृषि एवं बागवानी उत्पादों के सीधे क्रय की अनुमति दिया जाना तथा मण्डी शुल्क एवं विकास सेस में छूट दिया जाना-

- सभी नई इकाइयों को प्रसंस्करण हेतु कृषि एवं बागवानी उत्पादों के सीधे क्रय की अनुमति तथा 5 वर्ष के लिए मण्डी शुल्क व विकास सेस में छूट।
- प्लान्ट एवं मशीनरी पर 5 करोड़ या उससे अधिक धनराशि निवेशित करने वाली नई इकाइयों को प्रसंस्करण हेतु कृषि एवं बागवानी उत्पादों के सीधे क्रय की अनुमति तथा 10 वर्ष के लिए मण्डी शुल्क एवं विकास सेस में छूट।
- समस्त ताजे एवं प्रसंस्करण उत्पादों की निर्यातक इकाइयों को कृषि एवं बागवानी उत्पादों के सीधे क्रय की अनुमति तथा 15 वर्ष के लिए मण्डी शुल्क एवं विकास सेस में छूट।

3.3.4 ब्याज रहित ऋण सुविधा उपलब्ध कराया जाना :

- कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार उन उद्यमियों को जहां नीति अवधि में कुल संचयी निवेश रु. 1 करोड़ या उससे अधिक हो, ब्याज रहित ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जाना।

3.3.5 शीघ्र पूर्ण होने वाली (Pioneer Units) परियोजनाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन :

- पायनियर इकाइयों को स्वीकृत ऋण के ब्याज पर 25 प्रतिशत छूट अनुमन्य की जायेगी।
- पायनियर इकाइयों को विद्युत प्रभार में 15 वर्ष के लिए शत प्रतिशत छूट।
- उक्त वर्णित सुविधा एम.एस.एम.इ (MSME) सेक्टर की इकाइयों को भी सुविधा उपलब्ध कराया जाना।

3.3.6 वाणिज्य कर से सम्बन्धित छूट तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण के प्राविधान:

- प्रदेश में प्लान्ट एवं मशीनरी तथा स्पेयर पार्ट्स के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर की देयता नहीं है, जिसका लाभ उद्यमियों को उपलब्ध कराया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल पर वैट की दर पड़ोसी राज्यों विशेषकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखण्ड एवं बिहार के समतुल्य रखी जायेगी।
- राज्य के अन्दर प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों/मूल्य संवर्द्धित उत्पादों पर व्यापार कर की दरें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं बिहार के समकक्ष रखा जाना।

3.3.7 आधारभूत सुविधाओं का विकास :

- खाद्य प्रसंस्करण मिशन के माध्यम से मेगा फूड पार्क की स्थापना: इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में अधिकाधिक भारत सरकार से वित्तीय सहायता इच्छुक उद्यमियों को स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे प्रदेश में पूंजी निवेश, किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य, रोजगार सृजन, कृषकों की उपज में निरन्तरता पर सप्लाई चेन की निर्बाध व्यवस्था की सुविधाएं विकसित हो सकेगी।
- सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना (योजनाओं के माध्यम से): इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में सक्षम दक्षता विकास खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कराने के प्रयास किये जायेंगे जिससे औद्योगिक क्षेत्र में स्कूल/कॉलेज/आईटीआई/विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों में आवश्यक सुविधाओं का सृजन कराया जायेगा तथा यथा आवश्यक विभिन्न संस्थाओं से अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेंगे।

3.3.8 अनुसंधान एवं गुणवत्ता विकास :

- प्रदेश में प्रतिष्ठित अनुसंधान केन्द्रों की सहभागिता से संचालित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 15 लाख प्रति संस्थान प्रतिवर्ष की दर से अनुदान दिया जायेगा तथा राजकीय संस्थानों को शत-प्रतिशत अनुदान अधिकतम रु0 30 लाख प्रति वर्ष अधिकतम तीन वर्ष समय सीमा तक देय होगा।

- प्रदेश की कृषि एवं बागवानी फसलों के प्रसंस्करण प्रोटोकाल विकास हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को शत प्रतिशत तथा निजी संस्थानों को 50 प्रतिशत अनुदान की सुविधा दिया जाना।
- सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ-साथ निजी क्षेत्रों में पर्याप्त प्रयोगशालाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने हेतु सहयोग किया जायेगा।

3.3.9 वैश्वीय प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण :

- खाद्य प्रसंस्करण के उत्पादों का श्रेणीकरण तथा मानकीकरण कराने के उद्देश्य से जांच सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय उद्यमों को पेटेंट एवं डिजाइन के पंजीकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन भी देय होगा।
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य गुणवत्ता/पर्यावरण प्रमाणीकरण जैसे:ISO 14001, ISO 22000, HACCP, Sanitary/Phytosanitary Certification fees & testing charges पर अतिरिक्त रूप से राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत अनुदान सहायता देय होगी।

3.3.10 पेटेंट/डिजाइन पंजीकरण :

- इस सम्बन्ध में निर्धारित फीस का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 1.50 लाख अनुदान दिया जायेगा। यह धनराशि खाद्य प्रसंस्करण मिशन व केन्द्र सरकार की अन्य योजनाओं में देय राशि के अतिरिक्त होगी।

3.4 अन्य प्रोत्सहनात्मक सुविधाएं :

3.4.1 बाजार प्रोत्साहन की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करते हुए कृषि विकास निधि अथवा अन्य संस्था से धन आवंटित किया जाना :-

- बाजार प्रोत्साहन की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करते हुए कृषि विकास निधि/अन्य संस्थाओं से से धन आवंटित कराये जाने के प्रयास कराये जायेंगे, जिससे यथोचित बाजार विश्लेषण के बाद बनायी गयी विपणन रणनीतियों को कार्यान्वित किया जा सके। यह कोष उन सभी कोषों का पूरक होगा, जो वर्तमान में विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध हैं।

3.4.2 विपणन प्रोत्साहन :

- बाजार व्यवस्था में सुधार कर कृषकों को उनके उत्पाद का अधिकतम मूल्य उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु हॉफेड एवं सम्बद्ध सहकारी समितियों को सुदृढ़ कर संगठित विपणन व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जायेगा और विपणन प्रोत्साहन हेतु बायर-सेलर मीट और मेलों के माध्यम से उपभोक्ताओं और कृषकों को सीधे सम्पर्क में लाया जायेगा।
- राज्य सरकार द्वारा एकीकृत नीलामी/बाजार सुविधाओं को उपभोक्ता केन्द्रों पर उपलब्ध कराया जायेगा।

3.4.3 संस्थागत सुदृढीकरण तथा कार्यरत संस्थानों का प्रभावी उपयोग :-

- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में प्रत्येक जनपद/ मण्डल स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण के आधुनिक सुसज्जित केन्द्रों/कार्यालयों का सुदृढीकरण किया जायेगा।
- खाद्य प्रसंस्करण मिशन के लिए नामित नोडल संस्था, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय को नीति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु केन्द्रीय कार्यालय एवं सचिवालय बनाया जायेगा।
- नामित नोडल संस्था उक्त कार्य के अलावा अन्य सभी स्रोतों जैसे-एपीडा, एन0एच0बी0, एन0एच0एम0, आयुष एवं अन्य संस्थाओं से मिलने वाली सहायता के लिए भी नोडल संस्था का कार्य करेगा और उद्यमियों को इनसे प्राप्त होने वाली सहायता में सहयोग करेगा।

3.4.4 वेयरहाउस में रखे सामान पर प्राप्ति-तन्त्र की स्थापना :-

- वेयरहाउस में रखे माल पर कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे कृषक कम मूल्य पर अपना उत्पाद बेचने को बाध्य न हों।
- वेयरहाउस में रखे सामान पर प्राप्ति तंत्र की स्थापना कराये जाने हेतु वेयरहाउस एक्ट के अन्तर्गत उद्यमी द्वारा प्रत्यायन (Acreditation) की औपचारिकतायें पूर्ण करायी जायेगीं ताकि उनके द्वारा जारी रसीद के आधार पर ऋण की सुविधायें ली जा सकें।

3.4.5 प्रसंस्कृत उत्पादों के डिस्ट्रे सेन्टर की स्थापना :-

- प्रदेश के प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को प्रोत्साहित एवं उनके विपणन में सहयोग करने हेतु प्रदर्शित किया जायेगा। इस हेतु प्रदेश मुख्यालय पर एक आधुनिक प्रसंस्कृत उत्पादों का संग्रहालय स्थापित किया जायेगा।

सामान्य :

औद्योगिक अवस्थापना, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति में रेखांकित सभी रियायतें और सभी सुविधायें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी अनुमन्य होंगी। इस नीति में दिये गये प्राविधान औद्योगिक अवस्थापना, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति में उल्लिखित प्राविधानों के अतिरिक्त होंगे।



1. फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण
 - a. फल एवं सब्जियों का कृत्रिम निर्जलीकरण।
 - b. फल एवं सब्जियों का रेडिएशन एवं परिरक्षण।
 - c. फल एवं सब्जियों के रस या उनके सार, स्वैस एवं पाउडर।
 - d. सॉस, जैम, जैली एवं मुरब्बा निर्माण।
 - e. फल एवं सब्जियों की डिब्बा बंदी।
 - f. आलू का आटा एवं भोजन एवं सब्जियों से तैयार भोजन निर्माण करना।
 - g. फल एवं सब्जियों से सम्बन्धित अन्य ताजा एवं प्रसंस्कृत उत्पाद।
2. डेयरी उत्पादों का निर्माण
 - a. बोटल/पॉलीथीन थैली सहित/रहित पाश्च्यूरिकृत दूध का निर्माण।
 - b. दूध पाउडर, आईस्क्रीम, पाउडर, कन्डेन्स दूध बेबी मिल्क फूड।
 - c. घी, चीज एवं अन्य प्रसंस्कृत दुग्ध उत्पाद।
3. पिसे हुये अनाज के उत्पाद का निर्माण
 - a. सब्जियों के उत्पाद जैसे दलहनी सब्जियों (दालों के लावा), जड़, कन्द एवं खाने योग्य नट से बने हुए आटा एवं उत्पाद।
 - b. अनाजों को फुलाकर, भूनकर बनाये हुये नाश्ते का निर्माण।
 - c. शर्करा एवं शर्करा से बने पदार्थों का निर्माण।
 - d. पिसे हुए खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन के प्रसंस्कृत उत्पाद।
 - e. खाद्यान्न, दलहन व तिलहन के अन्य प्रसंस्कृत उत्पाद।
4. अन्य खाद्य पदार्थों का निर्माण
 - a. माकरोनी, नूडल्स, कसकस एवं उसी प्रकार के आटे से निर्मित उत्पादों का निर्माण।
 - b. भोजन एवं व्यंजन निर्माण करना।
5. खुदरा व्यवसाय
 - a. विशिष्ट स्टोर में भोज्य पदार्थ, मिठाईयां।
 - b. विशिष्ट स्टोर में भोज्य पदार्थों की खुदरा बिक्री।
 - c. ताजा एवं संरक्षित फल एवं सब्जियों की खुदरा बिक्री।
6. भण्डार व्यवस्था एवं परिवहन हेतु सहयोगी सेवाएँ
 - a. शीत भण्डारण के लिए भण्डार व्यवस्था
 - b. उत्पाद के मूल्य संवर्द्धन एवं भण्डारण हेतु उपयोग होने वाले अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर।
7. फूल एवं शहर तथा उनके प्रसंस्करण उत्पाद।
8. मसाले, जड़ी-बूटी और मशरूम तथा उनके प्रसंस्कृत उत्पाद।
9. मत्स्य, कुक्कुट, अण्डा, मांस एवं मांस पर आधारित उत्पाद।
10. ब्रेड, गुड, बिस्कुट, अल्पाहार एवं कन्फेक्शनरी, प्रोटीन आइसोलेट्स माल्ट एक्सट्रेक्टस, उच्च प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ, वीनिंग फूड्स, फूड कलर, फूड एन्जाइम, फूड स्टेबलाइजर/इमल्सीफायर और अन्य खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ तथा सभी अन्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ।
11. फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ (अल्कोहलिक और नॉन-अल्कोहलिक)